भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2403

17 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सिक्किम में आयुष उपचार सुविधाएं

2403. श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेषकर सिक्किम राज्य में ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों, में उपलब्ध आयुष उपचार सुविधाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) सरकार द्वारा इन सुविधाओं को बढ़ाने और देश में, विशेष रूप से सिक्किम राज्य में इनके विस्तार को सरल बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): चूंकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए सिक्किम सहित देश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध आयुष उपचार सुविधाओं का विवरण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा रखा जाता है। हालांकि, देश में आयुष अस्पतालों और औषधालयों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **संलग्नक** पर दिया गया है।

(ख) और (ग): आयुष मंत्रालय, सिक्किम सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है, ताकि देश में आयुष पद्धतियों के समग्र विकास, प्रचार-प्रसार के साथ-साथ विस्तार किया जा सके, जिसके लिए उनके राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। मिशन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान है:

i. मौजूदा आयुष औषधालयों और उप-स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का संचालन, जिनका नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) रखा गया है।
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/ऐसे क्षेत्र में नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण, जहां कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
v. 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को अनिवार्य औषधियों की आपूर्ति।
vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।
viii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना, जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
ix. आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचना विकास/ पीजी/ फार्मेसी/ पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम जोड़ना।

राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत, राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सिक्किम राज्य को आवंटित निधि की स्थिति निम्नलिखित है:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**सिक्किम को जारी अनुदान सहायता का केंद्रीय हिस्सा (लाख रुपए में)**
1	2021-22	99.30
2	2022-23	626.06
3	2023-24	492.37
4	2024-25	217.39

*****

संलग्नक

दिनांक 01.04.2023 तक आयुष अस्पतालों और आयुष औषधालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**आयुष अस्पतालों की कुल संख्या**	**आयुष औषधालयों की कुल संख्या**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			
1	आंध्र प्रदेश	8	735
2	अरुणाचल प्रदेश	11	174
3	असम	2	573
4	बिहार	8	1590
5	छत्तीसगढ़	16	1094
6	दिल्ली	6	197
7	गोवा	2	207
8	गुजरात	40	852
9	हरियाणा	17	830
10	हिमाचल प्रदेश	35	1206
11	जम्मू एवं कश्मीर	10	594

12	झारखंड	1	781
13	कर्नाटक	274	7641
14	केरल	165	2170
15	मध्य प्रदेश	77	1773
16	महाराष्ट्र	160	486
17	मणिपुर	25	1
18	मेघालय	12	95
19	मिजोरम	10	21
20	नागालैंड	6	46
21	ओडिशा	9	1191
22	पंजाब	25	932
23	राजस्थान	139	4337
24	सिक्किम	6	13
25	तमिलनाडु	295	1238
26	त्रिपुरा	7	101
27	उत्तर प्रदेश	1982	3761
28	उत्तराखंड	433	562
29	पश्चिम बंगाल	20	2668
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3	37
31	चंडीगढ़	2	30
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4	20
33	लद्दाख	0	48
34	लक्षद्वीप	2	18
35	पुदुचेरी	6	80
36	तेलंगाना	11	834
कुल (क)		**3829**	**36936**
ख. सीजीएचएस तथा केंद्र सरकार संगठन		56	868
कुल (क+ख)		**3885**	**37804**

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें तथा संबंधित एजेंसियां